उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मऊदरवाजा

दिनांक - 04.11.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त सुदीप पुत्र लालाराम निवासी मोहल्ला हाता इस्लाम खां भीकमपुरा थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ विरुद्ध मु0अ0स0-277/2023 वाद संख्या 674/2023 धारा 380/411/413 भादवि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा0 न्यायालय एडीजे-09 कोर्ट द्वारा दिनांक 04.11.2026 को दोषसिद्ध कर अभियुक्त को 04 वर्ष 02 माह कारावास की सजा व 4000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**



एडीजीसी - श्री अखिलेश कुमार



को0 मो0 - का0 बन्टी कुमार



पैरोकार - का0 गुलाम गौस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली - कायमगंज

दिनांक - 04.11.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त महेश पुत्र नत्थू लाल निवासी खेड़ा जलालपुर थाना उसैत जनपद बदायूँ के विरुद्ध मु0अ0सं0 - 324/2004 वाद संख्या 75/2004 धारा 394/302/307 भादवि0 कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ पर पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा0 न्यायालय एडीजे-03 कोर्ट द्वारा दिनांक 04.11.2026 को दोषसिद्ध कर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30,000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**



एडीजीसी - श्री अनुज प्रताप सिंह



एडीजीसी - श्री संजीप कुमार पाल



को0 मो0 - हे0का0 हरबेन्द्र सिंह



पैरोकार - का0 विवेक कुमार

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़

दिनांक - 04.11.2026

थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस द्वारा साइबर ठगी करने वाले 03 अभियुक्तों 03 मोबाइल फोन, 10 एटीएम कार्ड, 05 विभिन्न बैकों की पासबुक, 02 AOF Form, मोबाइल स्क्रीन शॉट/ विभिन्न क्यूआर कोड व 14000 रूपये सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मुखबिर की सूचना पर थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस द्वारा साइबर ठगी करने वाले 03 अभियुक्तों को साइबर ठगी में गिरफ्तार कर बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0स0 16/2026 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस व 66D IT Act पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पता-

1. रितिक कश्यप पुत्र राजू कश्यप निवासी मो0 भोपतपट्टी श्यामनगर थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ ।
2. लखन सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी ग्राम गुडेरा थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ।
3. शिवम सिंह पुत्र महेन्द्र पाल सिंह निवासी ग्राम गुडेरा थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्तो द्वारा लोगों को झांसे में लेकर Justdial ऐप के माध्यम से ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर साइबर ठगी की जाती थी। अभियुक्तो द्वारा ठगी की धनराशि ऐसे बैंक खातों में जमा कराई जाती थी, जो अन्य व्यक्तियों के नाम पर फर्जी तरीके से संचालित किए जाते थे। उक्त बैंक खातों से जुड़े एटीएम कार्ड एवं यूपीआई आईडी में अभियुक्तो द्वारा अपने फर्जी मोबाइल नंबर दर्ज कराए जाते थे तथा एटीएम कार्ड अपने कब्जे में रखकर खातों में जमा धनराशि निकाल ली जाती थी। अभियुक्तो के कब्जे से 03 मोबाइल फोन, 10 एटीएम कार्ड, विभिन्न बैंकों की 05 अदद पासबुक, 02 AOF फॉर्म, मोबाइल स्क्रीनशॉट, विभिन्न क्यूआर कोड एवं ₹14,000/- नकद बरामद कर बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0स0 16/2026 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस व 66D IT Act में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त लखन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0 05/2022 धारा 60 आवकारी अधिनियम थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ

2.मु0अ0सं0 381/2022 धारा 420 भादवि थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर

3.मु0अ0सं0 499/2022 धारा 406.420 भादवि थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर

अभियुक्त शिवम् उर्फ दीपू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

01.मु0अ0सं0 146/2021 धारा 420.406.467.468.471.120बी भादवि थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर

अभियुक्त रितिक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

01. मु0अ0स0 16/2026 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस व 66D IT Act थाना साइबर क्राइम फतेहगढ

सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध विभिन्न राज्यों/जनपदों से कुल 14 NCRP शिकायतें दर्ज है।

बरामदगी का विवरण –

1- 03 मोबाइल फोन,

2- 10 विभिन्न बैंको के एटीएम कार्ड,

3- 05 विभिन्न बैंको की पासबुक

4- 02 अदद बैंकों के AOF Form

5- 14000/- रूपये नकद

6- मोबाइल स्क्रीन शॉट/ विभिन्न क्यूआर कोड

गिरफ्तार करने वाली थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम:

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार
2. उ0नि0 श्री सुबोध यादव
3. मुख्य आरक्षी रविन्द्र प्रताप सिंह
4. आरक्षी अंकित आर्य
5. आरक्षी रामपति
6. आरक्षी गौरीशंकर
7. आरक्षी अनुराग लाम्बा

मीडिया सेल फतेहगढ़।

- साइबर अपराध के प्रति जागरूकता ही बचाव है। साइबर अपराध के शिकार होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ऑनलाइन शिकायत करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत पंजीकृत करें या अपने नजदीकी थाने की साइबर हेल्प डेस्क पर पहुँच कर लिखित शिकायत करें।
- सतर्क रहें , जागरूक रहें।
- साइबर क्राइम पुलिस उत्तर प्रदेश सदैव आपकी सेवा में तत्पर है।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - थाना शमसाबाद

दिनांक - 04.11.2026

एसओजी/सर्विलांस व थाना शमसाबाद पुलिस टीम द्वारा बिजली के तारों की चोरी के अभियोग से सम्बन्धित प्रकाश में आये 07 अभियुक्तों को चोरी के सामान व प्रयुक्त वाहनों सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री युमना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी/सर्विलांस व थाना शमसाबाद पुलिस टीम द्वारा बिजली के तारों की चोरी के अभियोग से सम्बन्धित प्रकाश में आये 07 अभियुक्तों को चोरी के सामान व प्रयुक्त वाहनों सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।





गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सबलू पुत्र शहीद खान निवासी ग्राम कटरा रहमत खां कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़
2. आमिर पुत्र ईद मौहम्मद निवासी ग्राम मऊ रशीदाबाद कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़
3. वीपी सिंह उर्फ विमल पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम मिलकिया थाना नबावगंज जनपद फतेहगढ़
4. लाल बहादुर पुत्र राजाराम निवासी ग्राम मिलकिया थाना नबावगंज जनपद फतेहगढ़
5. आसिम पुत्र कैसर खान निवासी ग्राम बड़ा बाजार मऊरशीदाबाद कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़
6. तस्लीम पुत्र रजी खान निवासी ग्राम भूडिया कटरा रहमत खां कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़
7. संजय गंगवार पुत्र अभिलाष चंद्र गंगवार निवासी ग्राम खेड़ा कुइया थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ हाल पता पालीवाल गली बेवर रोड थाना फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़

घटना का विवरण:- दिनांक-13/14.10.2026 की रात्रि को थाना शमसाबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अमलैया आशानन्द से ग्राम नगलानान के बीच 18 बिजली पोल का तार काटने के सम्बन्ध में वादी श्री दीपक कुमार राम पुत्र श्री शिवमंगल राम अवर अभियंता 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र हजियापुर की लिखित तहरीर पर थाना शमसाबाद पर मु0अ0सं0-195/26 धारा-303(2),324(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। दिनांक 01.10.2026 की रात्रि को कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्रान्तर्गत रोहिल्ला अन्डरपास के पास 14 पोलो पर तार काटने के सम्बन्ध में वादी श्री रामबाबू यादव पुत्र रूपराम यादव निवासी रामनगर थाना फ्रेंड्स कालोनी जनपद इटावा की लिखित तहरीर पर कोतवाली मोहम्मदाबाद पर मु0अ0सं0-381/26 धारा-303(2)बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। दिनांक-19.08.2026 की रात्रि में थाना कमालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिंधौली में एक निजी ट्यूबवेल से ट्रांसफार्मर जमीन पर गिराकर अज्ञात चोरो द्वारा तेल व वायरिंग चोरी कर लेने के सम्बन्ध में वादी श्री दयाराम पुत्र प्रीतम लाल निवासी ग्राम सिंधौली थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ की लिखित तहरीर पर थाना कमालगंज पर मु0अ0सं0-272/26 धारा-303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में एसओजी/सर्विलांस व थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर कार्यवाही करते हुए 07 अभियुक्तगण को चोरी किये गये माल व घटना में प्रयुक्त वाहनों के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम सभी लोग पहले मोटर साइकिल से रेकी करते थे और ये चिन्हित करते थे कि कौन सी बिजली की लाइन नई पड़ रही है। साहब नई बिजली की लाइन में करंट नही होता है। रेकी करने के बाद रात मे जाकर हम लोग तार काट लेते थे, हम लोग बिजली से संबधित सामान की ही चोरी करते थे। हम लोग तार काटने के अलावा ट्रांसफार्मर से तेल व कॉपर भी चोरी करते है तथा चोरी किये सामान को हम लोग अपने शौक पूरे करने के लिए सस्ते दामों मे बेच देते थे और रूपयो को आपस में बाँट लेते थे।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अशोक लीलैंड लोडर
2. 01 हीरो स्पलेंडर मोटर साइकिल
3. 01 प्लेटिना मोटर साइकिल
4. 09 बंडल बिजली का तार 11/33 केवी
5. 06 प्लास्टिक के बोरा जिनमें चोरी की हुई मोटी केबल के कटे हुए टुकड़े है।
6. 01 बोरा जिसमें चोरी किये गये केबिल/तार से निकाली गयी तांबे की पत्तिया करीब 4 किलो है
7. 02 कटर कैचीनुमा
8. 01 पोल क्लाइंबिंग चप्पल
9. 01 इलेक्टॉनिक तराजू
10. 01 पिपिया में ट्रांसफार्मर का तेल

11. 06 मोबाइल फोन

12. 1910 रुपये

अभियुक्त सबलू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0-195/26 धारा-303(2),324(4) बीएनएस थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0-272/26 धारा-303(2) बीएनएस थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़
3. मु0अ0सं0-381/26 धारा-303(2) बीएनएस कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़

अभियुक्त आमिर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0-195/26 धारा-303(2),324(4) बीएनएस थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0-272/26 धारा-303(2) बीएनएस थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़
3. मु0अ0सं0-381/26 धारा-303(2) बीएनएस कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ

अभियुक्त वीपी सिंह उर्फ विमल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0-195/26 धारा-303(2),324(4) बीएनएस थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0-272/26 धारा-303(2) बीएनएस थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़
3. मु0अ0सं0-381/26 धारा-303(2) बीएनएस कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़

अभियुक्त लाल बहादुर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0-195/26 धारा-303(2),324(4) बीएनएस थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0-272/26 धारा-303(2) बीएनएस थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़
3. मु0अ0सं0-381/26 धारा-303(2) बीएनएस कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़

अभियुक्त आसिम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0-195/26 धारा-303(2),324(4) बीएनएस थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0-272/26 धारा-303(2) बीएनएस थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़
3. मु0अ0सं0-381/26 धारा-303(2) बीएनएस कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
4. मु0अ0सं0-181/26 धारा-323,324, 504,506 भादवि कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़

अभियुक्त तस्लीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0-195/26 धारा-303(2),324(4) बीएनएस थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0-272/26 धारा-303(2) बीएनएस थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़
3. मु0अ0सं0-381/26 धारा-303(2) बीएनएस कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़

अभियुक्त संजय उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0-195/26 धारा-303(2),324(4) बीएनएस थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0-272/26 धारा-303(2) बीएनएस थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़
3. मु0अ0सं0-381/26 धारा-303(2) बीएनएस कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार करने वाली थाना शमसाबाद पुलिस टीम:

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन सिंह चौधरी
2. उ0नि0 श्री योगेश कुमार
3. उ0नि0 महेन्द्र प्रताप सिंह
4. मु0आ0 अरुण यादव
5. का0 सोहित कसाना
6. का0 लवित कुमार
7. का0 नितिन कुमार
8. का0 राहुल कुमार
9. का0 अंकुश कुमार
10. का0 विजय कुमार
11. का0 विकास चौधरी
12. का0 दिनेश कुमार

गिरफ्तार/बरामद करने वाली सर्विलांस/एसओजी टीम-

1. उ0नि0 श्री संत कुमार(प्रभारी SOG/सर्विलांस)
2. मु0आ0 करन यादव
3. मु0आ0 तेजप्रताप सिंह
4. का0 धर्मेंद्र सिंह
5. का0 दिव्यांशु
6. का0 सौरभ धीमान
7. का0 विकास चन्द
8. मु0आ0 चालक चंद्रशेखर
9. मु0आ0 संदीप राव
10. का0 राहुल शर्मा
11. का0 अरविंद कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।